राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अपीता / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
607/2018		
23/3/22	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो./प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसील कोटखावदा पटवार मण्डल कोटखावदा उत्तर के ग्राम कोटखावदा के आराजी खसरा नम्बर 3102 रकबा 0.23हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3106 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म चाही भूमि श्री अनिता , लेला, रानी, अपीला पुत्रीया पूरण नट निवासी कोटखावदा, तहसील कोटखावदा के सम्पूर्ण नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 तक सलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का कोटखावदा अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 3102 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3106 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म चाही जो कृषि भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयोजन हेतु होती है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये उक्त खसरा नम्बर 3102 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3106 रकबा 0.07 हैक्टेयर कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जाकर आवासीय कालोनी उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरुद्ध है। खसरा नम्बर 3102 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3106 रकबा 0.07 हैक्टेयर का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है। अंत में अनुतोष चाहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खातेदार काश्तकार द्वारा कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम कोटखावदा के खसरा नम्बर 3102 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3106 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म चाही अर्थात 3000वर्गमीटर की खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त द्वारा खसरा नम्बर 3102 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3106 रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि का रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी कर, आराजी को कब्जेराज लेने के आदेश पारित किये जावे। तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर बाद बहस मनन आदेश दिनांक 12/06/2018 के माध्यम से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पो. जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस तामील नही करवाये एवं ना ही सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर ही दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने ढंग से कैम्प में अपीलांट को प्रकरण की सूचना दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया है जो विधि विरुद्व है । तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार नही की गई है एवं रिपोर्ट से गलत तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्व पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण न कर प्रक्रियात्मक त्रुटी कारित करते हुये अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्व पारित कियां है । अंत: अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/06/2018 ख़ारिज किया जावे । रेस्पो. की और से राजकीय पैरोकार ने उपस्थित होकर जवाब बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को प्रकरण की सुनवाई हेतु विधिवत सूचना दी गई थी किन्तु अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नही हुए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट जिसमे अपीलांट द्वारा आराजीयात को गैर कृषि उपयोग में लिये जाने के तथ्य अंकित है को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश विधिनुसार पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटी नही है । अत: अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से ख़ारिज की जावे । अपील मीमो तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पो. की बहस पर मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ एवं सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण/अपीलान्ट की तलबी जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये एवं इसी हेतु निरन्तर पत्रावली नियत की जाती है तत्तपश्चात भी अप्रार्थीगण/अपीलांट की तलबी पूर्ण नही होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट की तलबी पूर्ण किये बगैर एवं उन्हें कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर मात्र पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनकर कैम्प कोटखावदा में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12/06/2018 पारित कर दिया, जो विधिअनुसार सम्बन्धित पक्षकार को सम्पूर्ण सुनवाई का अधिकार प्रदान किये जाने के नैसंगिक न्याय के सिद्दांत के विपरीत है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तलवी कराये बगैर एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12/06/2018 पारित किया गया	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है वह न्यायसंगत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सम्पूर्ण पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुन: विधिसम्मत निर्णय पारित करे | चूँकी विचाराधीन प्रकरण कृषि आराजी पर अकृषि कार्य से सम्बन्धित है ऐसी स्थिति में कृषि भूमि के स्वरूप को सरंक्षित रखा जाना प्रकरण के निर्णय तक उचित समझा जाता है, अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय पारित करने तक विवादित भूमि पर अकृषि कार्य नही किये जाने का आदेश न्यायहित में दिया जाता है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

आदेश आज दिनांक 23/3/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर